

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- गुना जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत आरोन-राधोगढ़ वाया विदोरिया मार्ग
उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 22.729 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 22.800 हे.) वनभूमि
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 007/2023 BHO दिनांक 06.09.2023

—0—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में
उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

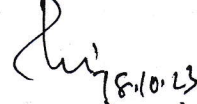
- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की
लागत राशि रु0 2,11,73,163/- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 19.09.2023 को जमा की
जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा दी गई 22.800 हेक्टेयर गैर वनभूमि
वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी-2 आदि
की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम,
1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये
2,18,37,384/- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 19.09.2023 को जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं
नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि दिनांक 19.09.2023 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनिन बैंक
ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत
कलेक्टर गुना का प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति
संलग्न है।

- 7- शर्त क्रमांक (7 एवं 8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 8- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में किया जावेगा। अतः आवेदक संस्थान द्वारा Muck shall be disposed off in forest area के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया है, छायाप्रति संलग्न है।
- 9- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 10- शर्त क्रमांक (11) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53325 है।
- 11- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 12- शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।
- 13- शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत पृथक से प्रेषित की जावेगी।

शर्त-B

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
- संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



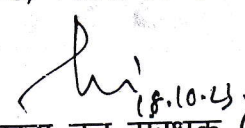
(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 18/10/2023

पृ. क्रमांक/एफ-5/1175/2022/10-11/4656

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, गुना, मध्यप्रदेश।
 3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल